न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 162 / 2021 (Bank Case)
GCMS No. 2021 / 326

M/S Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. Registered Office- 14, 45/90, p-Block, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 also at Corporate Office- Unit no. 501, 5th Floor, Selcon Rasvilas, Saket Dist. Center, Saket, Delhi- 110017 Through Its Authorised Officer Mr. Waseem Ahmad

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Harish Sharma S/o Shambhu Lal Sharma (ऋणी / बन्धनकर्ता)
   Address: Samudayik Bhawan ke Pass, Prem Nagar-1, Kota (Raj.) 324004
   Also at: Survey no. 255,Prem Nagar-1 and Indusind Bank Ltd. Shopping Centre Kota Raj.
2. Gayatri Sharma S/o Shambhu Dayal Sharma
   Address: Samudayik Bhawan ke Pass, Prem Nagar-1, Kota(Raj.)
3. Shambhu Dayal Sharma S/o Ram Gopal
   Address: Samudayik Bhawan ke Pass, Prem Nagar-1, Kota(Raj.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30.05.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है M/S Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. Registered Office- 14, 45/90, p-Block, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 also at Corporate Office- Unit no. 501, 5th Floor, Selcon Rasvilas, Saket Dist Center, Saket, Delhi- 110017 में स्थित है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.01.2014 को रूपये 3,00,000/-(अक्षरेः रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति All That Piece And Parcel Of Property Bearing Survey No. 255, Prem Nagar-1, Kota, Rajasthan-324004. Admeasuring- 41.11 Sq Yds. Bounded on East: House of Sadique Bhai, West:Road, North: House of Khalil Mohammad, South: House of Prem Chand का मकान है, को प्रांर्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 30.04.2021 को

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

9. Statement of Acc... 55-62

एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,03,569.54 /–(अक्षरे रूपये तीन लाख, तीन हजार, पाच सौ उनहतर एवं चौव्वन पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 16.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2021 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति** All That Piece And Parcel Of Property Bearing Survey No. 255, Prem Nagar-1, Kota, Rajasthan-324004. Admeasuring- 41.11 Sq Yds. Bounded on East: House of Sadique Bhai, West: Road, North: House of Khalil Mohammad, South: House of Prem Chand का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30-05-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)